

उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग-5

संख्या- /xxvii(5)/स्टाम्प/(1/स्टा10/05)/2005

देहरादून: दिनांक 12 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) समय-समय यथासंशोधित धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत अपनी पत्नी के नाम भूमि स्वामित्व अन्तरण या संयुक्त रूप से अपनी पत्नी का नाम जोड़े जाने हेतु भूमि के स्वामित्व अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)

प्रमुख सचिव।

सं०- — /XXVII(5)/स्टाम्प/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति उप-निदेशक लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200-200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-5 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)

सचिव वित्त।

सं०- /XXVII(5)/स्टाम्प/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. न्याय/विधायी विभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल०एम० पन्त)

अपर सचिव।